सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 354 राँची, बुधवार, 14 जुलाई, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

22 जून**,** 2021

संख्या-5/आरोप-1-431/2014 का०-2736-- श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-549/03, गृह जिला- नवादा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर की कार्यावधि से संबंधित राज्य मनरेगा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)432, दिनांक-14.07.2014 के माध्यम से उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-881/अभि0, दिनांक 11.03.2013 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

1. मनरेगा योजना में विलम्ब से मजदूरी भुगतान कराना ।
2. योजनाओं की रॉयल्टी की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं कराना ।
3. सहायक अभियंता के जाँच के बिना योजनाओं में अग्रिम का भुगतान करना ।
4. कार्यान्वित योजनाओं का शत-प्रतिशत पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग ।
5. मापी पुस्त निर्गत नहीं करना ।
6. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-15(5)(a),(c),(d),(e) एवं (f) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना झारखण्ड के अध्याय-II की कंडिका- L(f) के (v),(ix),(x),(xi) एवं (xii) का पालन सुनिश्चित नहीं करना ।

7. विभागीय परिपत्र सं0-7453, दिनांक 12.11.2008 के आलोक में प्रत्येक कार्यान्वित योजनाओं की साप्ताहिक मापी सुनिश्चित नहीं करवाना ।

8. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (खण्ड-I) के नियम-31-32(1) का खुला उल्लंघन करना ।

9. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (खण्ड-1) के नियम-34 का उल्लंघन करना ।

10. वित्त विभागीय परिपत्र सं0-ए-3-30296/60-7151/वि0, दिनांक 13.05.1960 का उल्लंघन करना ।

11. सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 की कंडिका-3 की उप कंडिका-(i), (ii) एवं (iii) का पालन नहीं करना ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11618, दिनांक 11.12.2014 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं इस हेतु दो स्मार-पत्र निर्गत किया गया, किन्तु श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किया गया । श्री सिंह से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर मामले के समीक्षोपरांत, विभागीय संकल्प सं0-4320, दिनांक 24.05.2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-145, दिनांक 19.05.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित विभिन्न आरोपों के संदर्भ में निम्नांकित मंतव्य दिया गया है-

आरोप संख्या-1- आंशिक रूप से प्रमाणित होता है ।

आरोप संख्या-2- आंशिक रूप से प्रमाणित होता है ।

आरोप संख्या-3- प्रमाणित होता है ।

आरोप संख्या-4- आरोप सही प्रतीत होता है ।

आरोप संख्या-5- आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप संख्या-6- प्रमाणित नहीं होता है ।

आरोप संख्या-7- आरोप प्रमाणित होता है ।

आरोप संख्या-8- आरोप निराधार प्रतीत होता है ।

आरोप संख्या-9- आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।

आरोप संख्या-10- आरोप सही प्रतीत होता है ।

आरोप संख्या-11- आरोप सही प्रतीत होता है ।

श्री सिंह विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1134, दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री सिंह से कारण पृच्छा की माँग की गई एवं पत्रांक-5284, दिनांक 04.07.2019 द्वारा इसके लिए स्मारित किया

गया । इनसे कारण पृच्छा अप्राप्त रहने पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु श्री सिंह द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित न कर अपने पत्र, दिनांक 05.08.2019 द्वारा कारण पृच्छा संबंधी पत्र उनके स्थायी पता पर प्रेषित करने का अनुरोध किया गया ।

श्री सिंह के उक्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक-6641, दिनांक 21.09.2019 कारण पृच्छा संबंधी पत्र उनके स्थायी पते पर प्रेषित कर जवाब समर्पित करने का अनुरोध किया गया एवं पुनः विभागीय पत्रांक-10185, दिनांक 20.12.2019 द्वारा उन्हें कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया। परन्तु फिर भी उनका उत्तर अप्राप्त रहा ।

समीक्षोपरांत, श्री सिंह के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-1132, दिनांक 23.02.2021 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-891, दिनांक 26.03.2021 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने पर सहमति प्रदान की गई है ।

अतः श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-549/03, गृह जिला-नवादा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् उनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री महावीर सिंह, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 354 -- 50